फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर

गुलाब देवी बनाम मदनगोपाल वगै0

संख्या/वर्ष : 93/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/02/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप0। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। अत: पत्रावली में संलग्न रिव्यू प्रार्थना पत्र व अन्य दस्तावेजातों में जमाबन्दी खसरा नम्बर 232, जमाबन्दी संवत् 2069–2072 दिनांक 11.09.2014 जो पत्रावली में शामिल किया गया, का अवलोकन करने एवं मूल पत्रावली मुकदमा नं0 30/2016 उनवानी मदनगोपाल बनाम सरकार का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि को सैटलमेंट का नक्शा सही प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम की धारा 86 के तहत स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अत: गुणावगुणों के आधार पर रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सैटलमेंट का नक्शा खसरा नम्बर 233 सही व दुरूस्त है। क्योकि गुलाब देवी पत्नि जगदीश नारायण जाति मीना निवासी जमवारामगढ नामा0 सं0 187 दिनांक 5.9.01 द्वारा दर्ज होने व नामा0 सं0 32 दिनांक 2.2.14 द्वारा विक्रय पत्र से खसरा नम्बर 232 रकबा 1.02 हैक्टेयर में से नानगराम, खूबाराम पि0 छोटूराम हि0 7/81 जाति मीणा सा0देह स्वीकृत हुआ शेष हि0 बदस्तुर रहा के आधार पर खसरा नम्बर 233 रकबा 5 बिस्वा जो बनाया है वह सही है। अत: प्रार्थीया का रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम की धारा 86 के तहत गुणावगुणों के आधार पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली मुकदमा नं0 30/2016 उनवानी मदनगोपाल बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 12.06.2017 का कोई औचित्य नही है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। 14/2/24 (चैनाराम) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	